

E.D.S

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
 पत्रांक— २०३। /मी०क्ष०/३३/मीरजापुर, दिनांक, अक्टूबर, २८, २०२१
 सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
 मीरजापुर, वन प्रभाग
 मीरजापुर।

विषय— ४०० के०वी० ओबरा ली०लो०विद्युत पारेषण लाइन मे० प्रस्तावित १९.९६८ हे०(वर्तमान ने ७.५११८ हे०) वन भूमि के लीज नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव के संबंध मे० प्रस्ताव सं०-एफ०पी०/य०पी०/दान्समिशन/४४७५३/२०२०।

सन्दर्भ— आपका पत्र संख्या—११०५/ ओबरा/३३ दिनांक २५.१०.२०२१

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक नामले की प्रस्ताव ४ प्रतियो मे० इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रेषित किये गये प्रस्ताव मे० निम्न कमियो०/ अग्निलेखो का अभाव पाया गया।

१— उप सचिव, उ०प्र०, शासन के पत्र संख्या—जी०आई०—३२२/१४—२—९४—७००(२)/९७ दिनांक ०१.०१.१९९९ के शर्त संख्या—३ के अनुसार प्राप्त गैर वन भूमि की भा०व०अ० १९२७ के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन घोषित कराये जाने की रिथ्ति।

२— उप सचिव, उ०प्र०, शासन के पत्र संख्या—जी०आई०—३२२/१४—२—९४—७००(२)/९७ दिनांक ०१.०१.१९९९ के शर्त संख्या—१२ के अनुसार १० प्रतिशत वार्षिक लीज रेट करु तक जमा किया गया है। इस संबंध मे० प्रस्तावक के पत्र सं०—१७५० दिनांक १३२.१०.२०२१ जो आपको सम्बोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठाकित है मे० उल्लेख है कि वर्ष २०१९—२० व २०२०—२१ की लीज रेट प्रभाग स्तर से मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया, जिसके कारण भुगतान नहीं किया जा सका है। लीज रेट भुगतान के संबंध मे० आपके कार्यालय के पत्र संख्या—९५६/ ओबरा/३३ दिनांक ०६.१०.२०२१ द्वारा प्रश्नगत लीज रेट वर्ष २०१९—२० तक भुगतान किये जाने तथा वर्ष २०२०—२१ की लीज रेट जमा किया जाना शेष है उल्लेख किया गया है। प्रस्तावक के अनुसार वर्ष २०१९—२० व २०२०—२१ की लीज रेट किन परिस्थितियो० मे० मांग नहीं की गयी। विलम्ब की रिथ्ति ने व्याज की देयता हेतु कौन उत्तरदायी है। स्पष्ट करें।

३—प्रस्ताव मे० १० क्ल०नी० परिधि मे० कोई सेचुरी/ वन्य जीव विहार न होने के संबंध मे० प्रभागीय वन अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

४—प्रस्ताव के पृष्ठ सं०—१८ पर संलग्नक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट मे० उल्लेख किया है कि प्रश्नगत प्रस्ताव घारा—४ मे० विज्ञापित भूमि को वन भूमि मानते हुए कुल १९.९६८ हे० क्षेत्र का प्रस्ताव तैयार किया गया था तथा घारा—२० की अधिसूचना के पश्चात ७.५११८ हे० प्रभावित हो रही है। इस प्रकार १२.४५६२ हे० वन भूमि कम पाया गया। इस संबंध मे० निम्न प्रारूप मे० सूचना प्रेषित करें।

पूर्व के प्रस्ताव ने उल्लिखित क्षे०—१९.९६८ हे०				वर्तमान के प्रस्ताव मे० उल्लिखित क्षे०—७.५११८ हे०				
रेज का नाम	ग्राम का नाम	आ०सं०	क्षेत्रफल हे० मे०	ग्राम का नाम	आ०सं०	क्षेत्रफल हे० मे०	अन्तर (४—७)	अन्तर का कारण
१	२	३	४	५	६	७	८	९

5—प्रस्ताव में संलग्नक पृष्ठ संख्या—27 पर धारा—20 की गजट की प्रति मे उल्लिखित गाटा संख्या व क्षेत्रफल एवं संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट मे उल्लिखित गाटा संख्या व क्षेत्रफल से मिलान करने पर निम्न त्रुटियाँ पायी गयी हैं—

- (क)—गजट मे गाटा सं0—6013 के0 0.038 है एवं गाटा सं0 6014 के0 0.051 है कुल 0.089 है जब कि संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट मे 0.3453 है उल्लेख किया गया है।
- (ख)—गजट मे गाटा सं0—5624 नहीं है, जब कि संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट ने उल्लेख किया गया है।
- (ग)—गजट मे गाटा सं0—6221 मि0 उल्लेख है, आप द्वारा 6221 उल्लेख किया गया है।
- (घ)—गजट मे गाटा सं0—6221 मि0 उल्लेख है, आप द्वारा 6221 उल्लेख किया गया है।
- (ड)—गजट मे गाटा सं0—5575 नहीं है, आप द्वारा 5575 उल्लेख किया गया है।
- (च)—गजट मे गाटा सं0—2327 ख उल्लेख है, आप द्वारा 2327 उल्लेख किया गया है।
- (छ)—गजट मे गाटा सं0—2328 ख उल्लेख है, आप द्वारा 2328 उल्लेख किया गया है।
- (ज)—गजट मे गाटा सं0—5586 मि0 उल्लेख है, आप द्वारा 5586 उल्लेख किया गया है।

6—प्रस्ताव मे मुख्य वन संरक्षक, / नोडल अधिकारी, ००३० लखनऊ के पत्र सं0—३३८/११—सी दिनांक 29.07.2021 द्वारा वन भूमि के समस्त प्रस्ताव की हार्ड कापी के साथ-साथ प्रस्ताव के पृष्ठ (विषय सूची) से लेकर प्रस्ताव के अन्तिम पृष्ठ तक की पी०डी०एफ० फाइल पैन ड्राइव तीन प्रतियो मे प्रेषित नहीं किया गया है।

7—प्रस्ताव मे प्रस्तावित वन भूमि का लैंड शेड्यूल निम्न प्रारूप मे संलग्न नहीं है।

प्रभाग का नाम	रंज का नाम	ग्राम का नाम	धीट का नाम	कं०न०	प्रभावित वन भूमि की आ०सं०	प्रभावित वन भूमि की ल० (कि०मी०)	प्रभावित वन भूमि की चौ० (कि०मी०)	प्रभावित वन भूमि की क्ष० (ह०मे०)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अतः प्रश्नगत प्रस्ताव मूल मे संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करते हुए उपरोक्त कमियो का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

अग्रेसिट

॥१॥
(प्रशासनिक अधिकारी,
लार्यालय मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर